राजकीय इंजीनियरिंग कालेज बाँदा

(पूर्ववर्ती डा० भीमराव अम्बेडकर इंजीनियरिंग कालेज आफ इन्फारमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, बांदा)

Rajkiya Engineering College Banda

Atarra, Banda – 210201

E-Mail: director@recbanda.ac.in URL: www.recbanda.ac.in

Tel: +91 5191 254301 Mob:+91-8765089509

पत्रांकः आर०इ०सी० / डी०एस०डब्ल्यू० / 2026– 022 दिनांकः 29 अप्रैल, 2026

–:सूचना:–

सत्र 2025–26 में संस्थान में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ए०के०टी०यू० के पत्रांकः ए०के०टी०यू० / कुस०का० / स्था० / 2026 / 2560 दिनांक 10 अप्रैल, 2026 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए छात्र कल्याण निधि की स्थापना की गयी है। उक्त निधि के अन्तर्गत परिवार का भरण–पोषण करने वाले माता–पिता में से किसी की अकस्मिक मृत्यु होने के पश्चात उन विद्यार्थियों को इस निधि के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है। उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर Student Section में दिये गये छात्र कल्याण के लिंक के माध्यम से भरते हुए एवं अपने अभिलेखों को संस्थान के निदेशक से सत्यापित कराते हुए आवेदन को आनलाइन अग्रसारित कर सकता है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः समस्त विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजनान्तर्गत पात्र होने की दशा में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर Student Section में दिये गये छात्र कल्याण के लिंक के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

अधिष्ठाता छात्र–कल्याण

प्रतिलिपि–

1. निदेशक महोदय को सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता शैक्षणिक।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
5. समस्त सूचना पट्ट।

अधिष्ठाता छात्र–कल्याण

डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / स्था0 / 2026 / 2560 दिनांकः 10 अप्रैल, 2026

सेवा में,

निदेशक / प्रधानाचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः विश्वविद्यालय द्वारा संचालित छात्र कल्याण निधि के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के लिए छात्र कल्याण निधि की स्थापना की गयी है। उक्त निधि के अन्तर्गत परिवार का भरण–पोषण करने वाले माता / पिता में से किसी की आकस्मिक मृत्यु होने के पश्चात उन छात्र / छात्राओं को इस निधि के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है। उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु छात्र / छात्रा विश्वविद्यालय की वेबवाइट पर Student Section में दिये गये छात्र कल्याण के लिंक के माध्यम से भरते हुए एवं अपने अभिलेखों को संस्थान के निदेशक से सत्यापित कराते हुए आवेदन को आनलाइन अग्रसारित कर सकता है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि संस्थान में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को अपने स्तर से अवगत कराते हुए उक्त सूचना को संस्थान के सूचनापट पर भी चस्पा करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः स्टाफ आफिसर, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव